क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

273
अप्रैल
2002

2002-2003 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति

गवर्नर डॉ.विमल जालान ने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई बैठक में 2002-2003 के लिए वार्षिक मौद्रिक और ऋण नीति प्रस्तुत की। इस वक्तव्य में समष्टि आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियों, मौद्रिक नीति के रुख और वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उपायों तथा बाज़ारों और संस्थागत संरचना को विकसित करने के लिए व्यापक पैकेज की समीक्षा शामिल थी। गवर्नर महोदय ने कुछ विश्लेषण परक और व्यावहारिक विषयों का भी उल्लेख किया जिनका सम्बन्ध मौद्रिक नीति, विनिमय दर और आरक्षित निधियों के प्रबन्धन से है।

गवर्नर महोदय ने संकेत दिया कि समूचे वर्ष के लिए मौद्रिक नीति के निरूपण के प्रयोजन से 2002-2003 में सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर को 6.0 - 6.5 प्रतिशत और स्फीति की दर को 4.0 प्रतिशत से थोड़ा कम रखा गया है। गैर-खाद्य ऋण (निवेश के लिए समायोजित) के लिए 15.0-15.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी मानी गई है, जो अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों की ऋण जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा करेगी।

गवर्नर महोदय ने संकेत दिया कि सामान्य स्थितियों में और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रतिकूल और अनपेक्षित गतिविधियों के उभर आने को छोड़ कर 2002-2003 के लिए मौद्रिक नीति का समग्र रुख इस रूप में रहेगा :

- मूल्य स्तर में गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखते हुए अर्थव्यवस्था में ऋण वृद्धि को पूरा करने और निवेश मांग को समर्थन देने के लिए पर्याप्त चलनिधि का प्रावधान।
- नरम ब्याज दरों के लिए वरीयता सहित ब्याज दरों के मौजूदा रुख को जारी रखना।
- मध्यावधि के ब्याज दर ढांचे को और अधिक लचीलापन प्रदान करना।

वित्तीय क्षेत्र सुधार और मौद्रिक नीति उपाय

गवर्नर महोदय ने वित्तीय प्रणाली के विभिन्न अंगों के कामकाज को मज़बूत करने और उसे युक्तिसंगत बनाने के लिए कतिपय ढांचागत और अन्य नीतिगत उपायों की घोषणा की।

मौद्रिक उपाय

(क) चलनिधि प्रारक्षित अनुपात को युक्तिसंगत बनाना और कम करना : चलनिधि समायोजन सुविधा को जारी रखते हुए और बेहतर विवेकशील

ख़ास-ख़ास बातें

- वर्ष 2002-2003 के लिए वृद्धि दर 6.0 से 6.5 प्रतिशत रखी गई। स्फीति दर कम बनी रहेगी।
- मौद्रिक स्थितियां और चलनिधि स्थिति बहुत अधिक सुविधाजनक।
- ऋण बढ़ोतरी को पूरा करने और निवेश की मांग को सहायता देने के लिए रिज़र्व बैंक पर्याप्त चलनिधि प्रदान करेगा।
- ब्याज दर की सरल व्यवस्था बरकरार रहेगी और मध्यम अवधि में ब्याज दर ढांचे में और अधिक लोच लायी जाएगी।
- सीआरआर में 50 आधार अंकों की और कटौती।
- मौद्रिक गतिविधियों के आधार पर बैंक दर में 50 आधार अंकों तक कटौती हो सकती है - अभी तक समय निर्धारित नहीं।
- बचत खाते में ब्याज दर में परिवर्तन नहीं।
- विदेशी मुद्रा में दिये गये निर्यात ऋण पर ब्याज दर को कम किया गया।
- सहकारी बैंकों के लिए कर्ज़ देने की न्यूनतम दर को समाप्त किया गया।
- बैंकों को कर्ज़ देने की अधिकतम और न्यूनतम दरों की घोषणा करनी होगी।
- बैंकों द्वारा अपने जमाकर्ताओं को विभिन्न अवधि समाप्ति वाली जमाराशियों पर ब्याज दरों और प्रभावी वार्षिक प्रतिलाभ की सूचना दी जाए।
- लघु उद्योगों के लिए सुविधाओं को उदार बनाया गया।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण बांटने की क्रियाविधि सुधारने के लिए और उपाय।
- आवास क्षेत्र को ऋण देने में सुधार लाने के उपाय।
- सरकारी प्रतिभूति बाज़ार को विकसित करने के लिए और उपाय।
- मांग मुद्रा बाज़ार तक पहुंच को नियंत्रित करना।
- जमा प्रमाणपत्रों को डी-मैट रूप में जारी किया जाएगा।
- वित्तीय स्थिरता लाने के लिए और विवेकपूर्ण उपाय।
- टैक्नोलॉजी में सुधार के लिए उपाय - ईएफटी सुविधाएं बढ़ायी जायेंगी।
- रीयल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम - एक वर्ष के समय में टेस्टिंग के लिए तैयार।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करना - विलंब के लिए रिज़र्व बैंक दण्ड लगायेगा।

मानक अपनाते हुए चलनिधि प्रारक्षित अनुपात को कम करने के मध्यकालिक लक्ष्य की दिशा में एक और उपाय के रूप में रिज़र्व बैंक ने यह प्रस्ताव किया कि 15 जून 2002 से शुरू होने वाले पखवाड़े से चलनिधि प्रारक्षित अनुपात को 5.5 प्रतिशत से और कम करके 5.0 प्रतिशत कर दिया जाए। 15 जून 2002 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से प्रभावी की जानेवाली चलनिधि प्रारक्षित अनुपात में प्रस्तावित कटौती को बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा अतिरिक्त चलनिधि को देखते हुए किया जा रहा है।

(ख) बैंक दर : गवर्नर महोदय ने कहा कि प्रणाली में काफी मात्रा में अधिक नकदी है जो रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त होने वाली पर्याप्त रेपो राशियों, नियत आय प्रतिभूतियों पर अपेक्षाकृत कम प्रतिफलों और जमाराशियों तथा उधार दरों में कटौती के रूप में देखी जा सकती है। तुलना करके देखें तो इन परिस्थितियों में यह वांछनीय समझा गया कि बैंक दर से कोई छेड़छाड़ न की जाए। अलबत्ता, उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की लगातार समीक्षा की जाती रहेगी। समग्र चलनिधि तथा ऋण स्थिति यदि इस बात की जरूरत पैदा करती है और मुद्रा स्फीति दर नीची बनी रहती है तो जब भी आवश्यक हुआ रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक दर में आधा प्रतिशत अंक (50 आधार अंक) की कटौती पर विचार किया जायेगा।

ब्याज दर नीति

(क) ब्याज दरों में लचीलापन : गवर्नर महोदय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मध्यकालिक नज़रिये से यह आवश्यक है कि भारत में ब्याज दर ढांचे को और अधिक लचीला बनाया जाए और मौजूदा मुद्रास्फीतिगत स्थिति को दर्शाने लायक बनाने के लिए उपाय शुरू किये जाने चाहिए। गवर्नर महोदय ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके निम्नलिखित उपायों पर विचार किये जाने की ज़रूरत है:

- सभी नयी जमाराशियों के लिए लचीली ब्याज दर प्रणाली की शुरुआत को प्रोत्साहित करना और उसे छमाही अंतराल पर नये सिरे से सेट करना। साथ ही साथ नियत दर विकल्प भी जमाकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- इस तरह की योजना तैयार करना कि जमाकर्ता अपनी मौजूदा दीर्घावधि नियत दर पिछली जमाराशियों को चल-दर जमाराशियों में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित हो सके।

(ख) प्रमुख उधार दर और उसका लाभ-दायरा बैंकों से आग्रह किया गया कि वे प्रमुख ब्याज दर के मौजूदा अधिकतम लाभ-दायरे की समीक्षा करें और जहां कहीं भी वे अनुचित रूप से बहुत ऊंचे हों, वहां उन्हें कम करें ताकि उधारकर्ताओं को उचित ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा, बैंकों को चाहिए कि वे अपनी प्रमुख ब्याज दरों की घोषणा करने के साथ ही जनता के लिए प्रमुख ब्याज दरों के अधिकतम लाभ-दायरे की भी घोषणा करें।

ग्राहक सुरक्षा के हित में और साथ ही सार्थक प्रतिस्पर्धा में यह आवश्यक है कि जमाकर्ताओं और साथ ही साथ उधारकर्ताओं के लिए भी वास्तविक ब्याज दरों के संबंध में और अधिक पारदर्शिता लायी जाए। इस दिशा में निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव है :

- बैंकों के चाहिए कि वे जमाकर्ताओं को विविध अवधि समाप्ति वाली जमा दरों पर और प्रभावी वार्षिक प्रतिफल पर सूचना उपलब्ध करायें। रिज़र्व बैंक अपनी वेबसाइट पर समेकित सूचना उपलब्ध करायेगा।
- बैंकों को चाहिए कि वे अपने उधारकर्ताओं से वसूल की जानेवाली अधिकतम तथा न्यूनतम ब्याज दरों पर सूचना उपलब्ध करायें। सूचना पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध करायी जाए।
- बैंकों से आग्रह किया गया कि वे ग्राहकों के लिए 'समस्त लागत' की धारणा अपनाएं और इसके लिए ग्राहकों से वसूल किये जाने वाले प्रोसेसिंग प्रभार, सेवा प्रभार आदि की स्पष्ट रूप से घोषणा करें और उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रसारित भी करें।

(ग) बचत खाते पर ब्याज दर - कोई परिवर्तन नहीं : : हालांकि बचत खाते पर सांकेतिक ब्याज दर 4.0 प्रतिशत वार्षिक है, प्रतिफल केवल 3.4 प्रतिशत वार्षिक ही आता है क्योंकि ब्याज प्रत्येक माह के दसवें दिन और अंतिम दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि पर ही अदा किया जाता है। गवर्नर महोदय ने कहा कि हालांकि ब्याज खाते पर भी ब्याज दरों को विनियम के दायरे से बाहर लाने का सीधा सादा मामला है, चूंकि लगभग इस तरह की बचत जमाराशियों का 4/5 हिस्सा घरेलू बचतों से आता है, जिनमें ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र के घरेलू क्षेत्र भी शामिल हैं, कुल मिला कर यह आवश्यक नहीं समझा गया कि वर्तमान के लिए बचत खातों पर ब्याज दर को विनियमित करने का यह सही समय है।

(घ) निर्यात ऋण पर ब्याज दर : ब्याज दर को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से बैंकों द्वारा भारतीय निर्यातकों के लिए निर्यात ऋण पर विदेशी मुद्रा ऋणों पर अधिकतम दर वर्तमान के लिबोर +1.0 प्रतिशत अंक से कम करके लिबोर +0.75 प्रतिशत अंक की जा रही है।

(ङ) मान लिये गये (डीम्ड) निर्यात : इस प्रतिवेदन को देखते हुए कि कुछ निर्यातक अभी भी मान लिये गये निर्यातों के संबंध में रियायती ब्याज दर का लाभ नहीं उठा पाते, गवर्नर महोदय ने बैंकों से अनुरोध कि वे मान लिये गये निर्यातों पर दी जानेवाली रियायतों का पर्याप्त प्रचार करें और इन्हें पात्र निर्यातकों को भी उपलब्ध करायें।

(च) सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम उधार दर समाप्त करना : प्रतिस्पर्धी परिवेश में सहकारी बैंकों को और अधिक लचीलापन लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने यह प्रस्ताव किया है कि :

- सभी सहकारी बैंकों के लिए एमएलआर के अनुदेशों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करना ताकि वे अपनी निधियों की लागत, लेनदेन लागत आदि को देखते हुए अपनी प्रबंध समितियों के अनुमोदन से अपनी उधार दरों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हो सकें।
- सहकारी बैंकों द्वारा वसूली जा रही ब्याज दरों में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे वसूली जा रही अधिकतम और न्यूनतम ब्याज दरों को प्रकाशित करें और प्रत्येक शाखा में इसे प्रदर्शित भी करें।

*छ) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के अंतर्गत इकट्ठा की गयी निधियों के निवेश मानदंडों का उदारीकरण :*एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के फैलाव के लिए बैंकों पर लगाये गये प्रतिबंधों को कम करने तथा आस्ति-देयताओं के असंतुलन से बचने के लिए बैंकों को इस बात की अनुमति दी गयी है कि वे मुद्रा बाजार लिखतों के लिए निर्धारित यथोचित दर निर्धारण के साथ अपनी एफसीएनआर(बी) जमाराशियों का दीर्घावधि मीयादी आय लिखतों में निवेश कर सकते हैं।

(ज) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर : एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की उच्चतम दर कम की गयी है। इसे समरूप परिपक्वता अवधि के लिए लिबोर/स्वैप दर से 25 आधार अंक घटा कर लिबोर/स्वैप दर पर लाया गया है।

(झ) बैंकों द्वारा उधार पर रियायत और विदेशी बाजार में निवेश : बैंकों को बेहतर परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय घोषित किये गये हैं :

- बैंकों को अपनी 'खुली स्थिति सीमा (ओपन पोज़िशन लिमिट) और परिपक्वता आस्तियों और देयताओं की असंतुलन सीमा (गैप लिमिट्स) के अंतर्गत विदेशी बाज़ार से (अनइम्पेयरर्ड) टियर I पूंजी के 25 प्रतिशत

तक उधार की अनुमति दी गयी है, जिसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जायेंगे।

- विदेशी बाज़ार में निवेश के लिए अनइम्पेयर्ड टियर I पूंजी की मौजूदा 15 प्रतिशत की सीमा अनइम्पेयर्ड टियर I पूंजी के 25 प्रतिशत तक बढ़ायी गयी है।

(ञ) बाह्य वाणिज्यिक उधारों को परिवर्तित करना (क्रिस्टलाइज़ेशन) : बैंकों को चयनित मामलों में विदेशी मुद्रा देयताओं को रुपये में परिवर्तित करना आसान बनाने तथा उनके निधि प्रबंधन में उन्हें बेहतर स्वतंत्रता और लचीलापन देने की दृष्टि से यह प्रस्ताव किया गया है कि जहाँ पर बैंक ऐसा करना आवश्यक समझें, उन्हें यथोचित सुरक्षा के साथ बाह्य वाणिज्यिक उधारों को रुपया ऋण में बदलने की अनुमति दी जाए।

ऋण वितरण प्रणाली

(क) प्राथमिकता क्षेत्र को उधार : प्राथमिकता क्षेत्र को विशेषत: कृषि क्षेत्र को दी जानेवाली ऋण वितरण प्रणाली में और सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं :-

- प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश वस्तुओं के वितरण के वित्तपोषण की सीमाएँ मौजूदा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गयीं।
- कृषकों के लिए फसल गिरवी रखकर फसलों के विपणन के लिए ऋण सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गयी और ऐसे ऋण की चुकौती अवधि वर्तमान 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दी गयी।
- दोहरी गणना से बचने के लिए प्रायोजक बैंकों को कहा गया कि वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए दिये गये निधियों को, लक्ष्य प्राप्ति को पूरा करते समय छोड़कर गणना करें।

(ख) लघु उद्योगों के लिए ऋण सुविधाएं : लघु उद्योग इकाइयों के लिए ऋण सुविधाओं में और ढील दी गयी है तथा बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे इकाइयों के पिछले अच्छे रिकार्ड और लघु उद्योग इकाइयों की वित्तीय स्थिति के आधार पर मौजूदा 5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए संपार्श्विक अपेक्षाओं की छूट की सीमा को बढ़ा सकते हैं।

(ग) आवास वित्त के लिए जमानत और जोखिम भारिताएं : आवास क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता में और सुधार लाने के लिए, बैंकों द्वारा आवास वित्त की विवेकसम्मत अपेक्षाओं तथा आवास वित्त कंपनियों के प्रतिभूतिकृत ऋण दस्तावेज़ों में निम्नानुसार ढील दी गयी है :

- अब से पूर्व निर्धारित 100 प्रतिशत की तुलना में रिहायशी आवासीय संपत्तियों पर जोखिम भारिता 50 प्रतिशत।
- राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पर्यवेक्षित आवास वित्त कंपनियों द्वारा रिहायशी आस्तियों की बंधक आधारित प्रतिभूतियों में निवेशों के लिए पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन के लिए जाखिम भारिता 50 प्रतिशत। बैंकों द्वारा ऐसी जिन रिहायशी आस्तियों की बंधक आधारित प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा जिनमें वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हों, उन पर 100 प्रतिशत जोखिम भारिता लगायी जाएगी।
- बैंकों द्वारा बंधक आधारित निवेशों को 3.0 प्रतिशत के निर्धारित आवंटन में शामिल किये जाने को मान्यता (राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पर्यवेक्षित आवास वित्त कंपनियों द्वारा)।

(घ) ग्रामीण ढांचागत विकास निधि : केंद्रीय बजट में की गयी घोषणा के अनुसरण में, ग्रामीण ढांचागत विकास निधि-VIII के तहत स्वीकृत निधियों को बढ़ाकर 5,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है और ग्रामीण ढांचागत विकास निधि से राज्यों को दिये जाने वाले ऋणों की ब्याज दर को बैंक दर से जोड़ दिया गया है।

(ङ) व्यक्ति स्तर पर ऋण : अनुसूचित वाणिज्य बैंक और नाबार्ड देश-भर के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के लिए तत्काल कदम उठायेंगे ताकि 2002-03 के लिए 1.25 लाख व्यक्तियों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

मुद्रा बाज़ार

(क) गवर्नर महोदय ने पूर्णत: अंतर- बैंक मांग मुद्रा बाज़ार की ओर बढ़ने के लिए कतिपय उपाय घोषित किये। बैंकों की मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार की निर्भरता को कम करने के लिए गर्वनर ने प्रस्ताव किया कि मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के दैनिक उधार की निधि पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में उनकी स्वामित्व वाली निधियों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की दैनिक उधार निधियां उनके स्वामित्व वाली निधियों अथवा पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च के अंत में उनकी कुल जमाराशियों के के 2.0 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होंगी; मौजूदा उधार लेने और उधार देने वालों को विवेकसम्मत सीमाओं से बढ़ी हुई स्थितियों का अगस्त 2002 तक खुलासा करने की अनुमति है।

गवर्नर महोदय ने यह भी घोषित किया कि पात्र संस्थाओं के प्रतिनिधियों से गठित कार्यदल 30 जून 2002 तक मांग/सूचना बाज़ार के प्राथमिक व्यापारियों के लिए सीमाएं तय करने के लिए सिफ़ारिशें करेगा और मांग मुद्रा बाज़ार से बाहर निकलने के उपायों का खाका सुझायेगा।

(ख) संपार्श्विकीकृत उधार सुविधा : वित्तीय प्रणाली में चल-निधि की स्थिति को सहज बनाने में एलएएफ के निहित महत्त्व के कारण, संपार्श्विकीकृत उधार सुविधा को 5 अक्तूबर 2002 से समाप्त कर दिया जाएगा। यदि मौद्रिक परिस्थितियों में परिवर्तन को देखते हुए आवश्यक समझा गया तो संपार्श्विकीकृत उधार सुविधा को भविष्य में बहाल किया जा सकता है।

(ग) जमा प्रमाणपत्र : 30 जून 2002 से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षा की गयी है कि वे जमा प्रमाणपत्र केवल गैर-कागजी रूप में (डिमटेरियलाइज्ड फार्म) में जारी करें। वर्तमान बकाया जमा प्रमाणपत्र अक्तूबर 2002 तक डिमैट रूप में परिवर्तित कर दिये जाने चाहिए।

सरकारी प्रतिभूतियाँ

(क) एक-समान मूल्य नीलामी : भारतीय रिज़र्व बैंक प्रयोगात्मक तथा चयनित आधार पर इस कैलेंडर वर्ष के दौरान भी एक-समान मूल्य नीलामी का आश्रय लेना जारी रखेगा क्योंकि ऐसा करना आवश्यक समझा गया है।

(ख) निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम : भारतीय रिज़र्व बैंक में एसजीएल खाता रखनेवाली सभी संस्थाओं को यह सूचित किया गया है कि वे 31 मई 2002 तक एनडीएस के सदस्य बन जायें।

(ग) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम : वर्तमान लोक ऋण अधिनियम, 1944 के स्थान पर सरकारी प्रतिभूति अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने 2002-03 के अपने बजट भाषण में प्रस्तावित किया है।

(घ) सरकारी प्रतिभूतियों की गैर-प्रतियोगी बोली के माध्यम से खुदरा बिक्री : बैंकों को सूचित किया गया है कि वे खुदरा निवेशकों को डिमैट खातों अथवा सीएसजीएल खाता धारकों के माध्यम से अपने काउंटर पर सरकारी प्रतिभूति की बिक्री/खरीद की योजनाओं को प्रोत्साहन प्रदान करें। प्राथमिक विक्रेता तथा बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कि खुदरा निवेशकों को ऐसे निवेशों पर तरलता का विश्वास हो, बिक्री तथा खरीद दोनों सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं। आकर्षक दर पर स्वत:वित्तीयन की सुविधा प्राप्त

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-290/MBI-2001
9 मई तथा 10 मई 2002 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(ङ) अस्थायी दर वाले बांड : अस्थायी दर वाले बांड के लाभ तथा जोखिम दोनों पर विचार करने के पश्चात् चालू वर्ष में और अस्थायी दर वाले बांड जारी करने पर विचार किया जायेगा।

(च) दिनांकित प्रतिभूतियों का कैलेंडर : सरकार द्वारा पहले छह महीनों के लिए कुल अनुमानित बाज़ार उधारियों में से 68,000 करोड़ रुपये की राशि के एक कैलेंडर की पहले ही घोषणा की जा चुकी है। पूर्व के समान ही वर्ष की प्रथम छमाही के लिए शेष बाज़ार उधारियों के कार्यक्रम की घोषणा समय-समय पर सरकार की ज़रूरतों तथा बाज़ार की दशाओं को देखकर की जायेगी।

(छ) सैटेलाइट डीलर सिस्टम : भारतीय प्राथमिक व्यापारी एसोसिएशन तथा मुद्रा तथा सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में तकनीकी परामर्शदाता समिति के विचारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कोई नया सैटेलाइट डीलर सिस्टम का लाइसेन्स जारी न किया जाये। वर्तमान सैटेलाइट डीलरों को सैटेलाइट डीलर के रूप में 31 मई 2002 तक अपने परिचालन समाप्त करने के लिए ऐसी नीलामी योजनाएँ तैयार करनी होंगी जिनसे भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट हो।

(ज) बीमा कंपनियों तथा अन्य के लिए दीर्घावधि बांड जारी करना : ऐसे निवेशकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दीर्घावधि बांड जारी करने की भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति जारी रखी जाने का प्रस्ताव है।

(झ) स्वत:नामे कार्य प्रणाली : राज्य सरकार की गारंटियों के संबंध में राज्य वित्त सचिवों की तकनीकी समिति की सिफारिशों को तथा ऋण बाज़ार में लोक ऋण घटक की निष्ठा को बनाये रखने की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है :

- जहाँ कोई विधिक या अन्य बाध्यताएँ न हों, वहाँ भविष्य में एक सामान्य नीति के तौर पर स्वत:नामे प्रणाली को समाप्त करना।
- जहाँ कानूनी बाध्यताएँ हों वहाँ ऐसे प्रावधानों में संशोधन का सुझाव देना।
- राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधितों से परामर्श करके जहाँ भी संभव हो ऐसे कार्य प्रणाली को समाप्त करने की दृष्टि से समस्त वर्तमान स्वत:नामे व्यवस्थाओं की समीक्षा करना।

विवेकसम्मत उपाय

(क) नया बासले कैपिटल समझौता : एक आंतरिक समूह चयनित बैंकों के प्रतिनिधियों को संशोधित दृष्टिकोण तथा भावी परिणामात्मक प्रभाव अध्ययन(क्यूआइएस) के संबंध में सामग्री प्रदान करने के लिए आमंत्रित करेगा। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे नये प्रस्तावों की कार्य प्रणाली तथा इसके संभावित प्रभाव के संबंध में अध्ययन करने के लिए एक आंतरिक विशेषज्ञ दल का गठन करें।

(ख) काउंटरपार्टी और देश जोखिम : भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही बैंकों, भारतीय बैंक संघ और अन्य बाजार सहभागियों के साथ परामर्श करके देश जोखिम प्रबंधन और उसके लिए प्रावधान पर प्रारूप दिशानिर्देश जारी करेगा। बैंकों को सूचित किया गया कि वे बाजार जोखिम के लिए पूंजी पर बासले फ्रेमवर्क का अध्ययन करें जैसा कि बाजार जोखिमों का समावेश करने के लिए पूंजी समझौते में आशोधन में उल्लिखित है जो बीसीबीएस द्वारा जनवरी 1996 में प्रकाशित किया गया तथा स्वयं को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित की जाने वाली उचित तारीख को इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुपालन के लिए तैयार करें।

(ग) *काले धन को वैध बनाने पर प्रतिबंध :* भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में शीघ्र ही बैंकों द्वारा अपेक्षित नीति, प्रक्रियाएं और नियंत्रण निश्चित करने वाला मास्टर परिपत्र जारी करेगा।

(घ) *अवमानक परिसंपत्ति को संदिग्ध श्रेणी में डालने के लिए संक्रमण अवधि में कटौती :* नरसिंहम समिति II द्वारा की गयी सिफ़ारिशों से सामंजस्य रखते हुए तथा अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट पद्धतियों के नज़दीक जाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि:

- 31 मार्च 2005 से यदि कोई परिसंपत्ति 12 महीने के लिए अवमानक श्रेणी में रहती है तो उसे संदेहात्मक परिसंपत्ति माना जाएगा। बैंकों को हर वर्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत की दर से चार वर्षों की अवधि में परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रावधान करने की अनुमति दी गयी है।

(ङ) निकाय ऋण पुनर्विन्यास (सीडीआर): भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीडीआर योजना के परिचालनों की समीक्षा तथा योजना के सरल कार्यान्वयन में परिचालनगत कठिनाइयां, यदि कोई हों, की पहचान करने तथा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाय सुझाने के लिए उच्च स्तरीय दल (अध्यक्ष: श्री वेपा कामेसम, उप गवर्नर) का गठन किया। एक अंतरिम उपाय के रूप में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित उच्च स्तरीय दल की लंबित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि यदि उधारदाता संघटित बैंक और वित्तीय संस्था के न्यूनतम 75 प्रतिशत (मूल्य द्वारा) सीडीआर के लिए सहमत हैं, तो सीडीआर मुख्य समूह की विशिष्ट सिफ़ारिशों के आधार पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की परिसंपत्तियों के वर्गीकरण की भिन्नताओं के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक ऋण पुनर्विन्यास की अनुमति देगा।

(च) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आइएफआर) : प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि निवेश के संदर्भ में निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आइएफआर) की गणना इन दो वर्गों में की जाएं अर्थात् "व्यापार के लिए धारित " तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध"। आइएफआर की गणना के लिए "परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग की प्रतिभूतियों की गणना आवश्यक नहीं होगी जोकि व्यापार के लिए नहीं है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

(क) एनबीएफसी क्षेत्र के लिए एसआरओ का गठन : एनबीएफसी एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने शीघ्र ही एसआरओ गठित करने के लिए सहमति दी है।

(ख) एनबीएफसी द्वारा विवरणियां प्रस्तुत करना : विवरणियों की प्रस्तुति न किये जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक 50 करोड़ रुपये तथा उससे अधिक सार्वजनिक जमा वाले एनबीएफसी के सीओआर को अस्वीकार/निरस्त पर विचार करने के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में दिये गये अनुसार दंड लगाने के साथ-साथ न्यायालयीन कार्यवाही भी प्रारंभ करेगा। एनबीएफसी के आकार से संबंधित शर्त में कालांतर में उत्तरोत्तर कमी की जायेगी।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ऍण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र । ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**